81

संख्याः /I/2004-03-1(1)/3/04

प्रेषक,

डा0एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग देहरादूनः दिनांकः 11 मार्च, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में IREP कार्यक्रम हेतु आयोजनागत में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 81/I/2004-03-1(1)/3/04, दिनांकः 17.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को आयोजनागत में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (IREP) के लिये संलग्नक में अंकित कुल रु0 50.75 लाख (रू0 पचास लाख पिछत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि की योजनावार/जिलावार फांट निदेशक, उरेडा द्वारा करते हुये सम्बन्धित जिलों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय IREP कार्यो के लिये ही किया जायेगा तथा जिला योजना से सम्बन्धित व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर उनके लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। साथ ही उरेडा द्वारा भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के पत्रांक F No 47/30/2003–IREP दिनांक 17–1–2005,में इंगित शर्तो का पूर्ण रुपेण पालन किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के बिल उरेडा के सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करके धनराशि का आहरण किया जायेगा। मुख्यालय से सम्बन्धित धनराशि का आहरण वित्त एवं लेखाधिकारी, उरेडा द्वारा तैयार कर बिल पर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल और फाईनेन्सियल हैण्डबुक के सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त की जायेगी। साथ ही योजनाओं पर वित्तीय/प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला योजना में स्पेशल कम्पोनेन्ट/ट्राईबल सब–प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत परिव्यय/चिन्हित लक्ष्यों की सीमा तक उक्त स्वीकृत धनराशि से व्यय क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना के सापेक्ष किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर किया जायेगा।

7– उरेडा द्वारा कार्यक्रम/योजना के अधीन कार्यो का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं अन्य वांछित सूचनायें त्रैमासिक रूप से नियमित भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग एवं शासन को प्रेषित की जायेंगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दिनांक 31.03.2005 को प्रेषित किया जायेगा।

.....2

7– उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार से राज्य सरकार को शीघ्रतिशीघ्र प्रेषित कर द्वितीय किश्त भी शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के लेखानुदान आय–व्ययक के अनुदान सं0–19 के लेखाशीर्षक–2501–ग्राम विकास हेतु विशेष योजनाओं के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित शीर्षकों/मदों के नामें डाला जायेगा।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 1735/वि0अनु0–2/04, दिनांक 10 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 811 /I/2004-03-1(1)/3/04,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु/निजी सचिव, राज्य मंत्री को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ ।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ।
3– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
4– सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, भारत सरकार (द्वारा निदेशक, उरेडा)
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6– निदेशक, उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा, देहरादून।
7– समस्त परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरांचल ।
8– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
11– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

811

शासनादेश संख्याः /1/2004-03-1(1)/3/04, दिनांकः 11 मार्च, 2005

का संलग्नक

अनुदान संख्या–19

कमांक	लेखाशीर्षक	धनराशि
1.	2.	3.
1–	2501– ग्राम विकास हेतु विशेष कार्यक्रम 04– एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम 101– एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा संबंधी क्षेत्रवत खण्ड स्तर की परियोजनाओं के डिजाईन और कार्य प्रणाली का विकास। 03– डिजाईन और कार्य प्रणाली के विकास हेतु उरेडा को अनुदान 00– आयोजनागत 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता।	1408
2–	00– आयोजनागत 105– परियोजनाओं का कियान्वयन 03– उरेडा के लिये अनुदान 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1192
3–	00– आयोजनागत 109– मॉनिटरिंग 03– उरेडा को अनुदान 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2475
	कुल योगः–	5075

कुल योग रु0 50,75,000/–(रू0 पचास लाख पिछत्तर हजार मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव